भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 746
उत्तर देने की तारीख दिनांक 04 फरवरी, 2026

वोडाफोन आइडिया के बकाया एजीआर

746. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वोडाफोन आइडिया (वीआई) के बकाया एजीआर को 87,695 करोड़ रुपये पर रोक दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या दूरसंचार विभाग ने एजीआर बकाया का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और संरचना क्या है तथा कंपनी के लिए निर्धारित अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
(ग) दूरसंचार कंपनियों के पास बकाया एजीआर का सारणीबद्ध चार्ट के द्वारा ऑपरेटर-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) दूरसंचार कंपनियों में सरकार के स्वामित्व वाले इक्विटी शेयरों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) रिट याचिका (सिविल) संख्या 882/2025 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राहत की मांग करते हुए दिए गए अभ्यावेदन के अनुसरण में सरकार ने वित्त वर्ष 2006-07 से वित्त वर्ष 2018-19 तक की अवधि के वीआईएल के समायोजित कुल राजस्व (एजीआर) के बकाए को दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार ₹87,695 करोड़ पर फ्रीज करने का निर्णय लिया है। इस राशि में वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के

वे एजीआर बकाया शामिल नहीं हैं, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2020 के एमए (डी) 9887 में दिनांक 01.09.2020 के आदेश द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और उक्त आदेश के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार फ्रीज किए गए एजीआर बकाया राशि दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा दिनांक 03.02.2020 के कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों और जिन ऑडिट रिपोर्टों पर कार्रवाई नहीं हुई है, उनके अनुसार पुनर्मूल्यांकन के अध्यधीन भी होगा। दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 30.01.2026 को एक समिति का गठन किया गया है जो दूरसंचार विभाग द्वारा इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम पर निर्णय लेगी। इस समिति में भारत सरकार के एक सेवानिवृत्त सचिव स्तर के अधिकारी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के एक प्रतिनिधि शामिल हैं, जिसे सीएजी द्वारा नामित किया जाता है। यह समिति यदि समय बढ़ाया नहीं जाता है तो दो महीने की अवधि के भीतर पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को अंतिम रूप देगी। समिति का निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों (दूरसंचार विभाग और वीआईएल) पर बाध्यकारी होगा।

(ग) प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के लंबित एजीआर बकाया का विवरण अनुबंध **I** में दिया गया है।

(घ) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली दूरसंचार कंपनियों में सरकार के स्वामित्व वाले इक्विटी शेयरों का विवरण अनुबंध **II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 04.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 746 का अनुबंध-I

31.12.2025 तक अपडेट किए गए प्रमुख दूरसंचार कंपनियों का ब्याज सहित एजीआर बकाए का विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

| क्रम संख्या | कंपनी का नाम | वित्त वर्ष 2024-25 तक एजीआर बकाया |
|---|---|---|
| 1 | भारती ग्रुप (एयरटेल और हेक्साकॉम) | 51091 |
| 2 | टाटा ग्रुप (टीटीएसएल और टीटीएमएल) | 20426 |
| 3 | वोडाफोन आइडिया लिमिटेड | 89952 |
| 4 | रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड | 1984 |
| 5 | एमटीएनएल | 14462 |
| | कुल | 177915 |

नोट:

1. एजीआर बकाया में लाइसेंस शुल्क (एलएफ) और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) शामिल हैं।
2. तालिका में दर्शाए गए प्रमुख दूरसंचार कंपनियों से संबंधित बकाया वित्त वर्ष 2006-07 से वित्त वर्ष 2024-25 तक की अवधि के लिए हैं। इसमें वे कंपनियाँ शामिल नहीं हैं जिनके खिलाफ दिवालियापन या परिसमापन कार्यवाही चल रही है।
3. वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों से संबंधित देय राशि मुकदमेबाजी के अधीन है और उपरोक्त तालिका में शामिल है।
4. वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) के मामले में, वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के एजीआर बकाया को छोड़कर वित्त वर्ष 2006-07 से वित्त वर्ष 2018-19 तक

की अवधि से संबंधित एजीआर बकाया, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2020 के एमए (डी) 9887 में दिनांक 01.09.2020 के आदेश द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार 87,695 करोड़ रुपये पर फ्रीज कर दी गई है, जो पुनर्मूल्यांकन के अधीन है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2020 के आदेश के माध्यम से तय किए गए एजीआर बकाया के अलावा अन्य बाकी एजीआर बकाए में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) से प्राप्त अभ्यावेदनों, विभागीय मूल्यांकन, सीएजी/विशेष ऑडिट और लंबित न्यायालयीन मामलों के आधार पर यथा लागू संशोधन के अधीन हैं।

अनुबंध-**II**

दिनांक 04.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 746 का

अनुबंध-**II**

दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली उन दूरसंचार कंपनियों की सूची जिनमें सरकार वर्तमान में सीधे इक्विटी हिस्सेदारी रखती है।

| कंपनी का नाम | सरकारी इक्विटी हिस्सेदारी का विवरण |
|---|---|
| भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) | 100% |
| महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) | 56.25 % |
| वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल)6 | 49 % |

*****